सं0–642 / उन्तीस(2)06–2(155पे0) / 2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून दिनांक/० मई, 2007

विषयः–राज्य सैक्टर नगरीय जलोत्सारण योजनान्तर्गत जनपद देहरादून की जलोत्सारण योजनाओं हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 3910 / अप्रैजल–देहरादून / दिनांक 2510.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की नगरीय जलोत्सारण योजनाओं हेतु अनुदान / ऋण के अन्तर्गत जनपद देहरादून की निम्नलिखित जलोत्सारण योजनाओं हेतु अनु0 लागत रू0 97.50 लाख, रू0 98.50 लाख, रू0 98.45 लाख एव रू0 99.72 लाख के प्राक्कलनों पर टीएसी वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि क्रमशः रू0 रू0 93.10 लाख (रू. तिरानब्बे लाख दस हजार मात्र), रू0 95.60(रू0 पिचानब्बे लाख साठ हजार मात्र), रू0 94.50 लाख (रू0 चौरानब्बे लाख पचास हजार मात्र) एंव रू0 96.00 लाख (रू. छियानब्बे लाख मात्र) पर प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति के साथ ही उनके सम्मुख उल्लिखित विवरणानुसार रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख) अनुदान एंव रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) ऋण अर्थात कुल धनराशि रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृत अनुदान	स्वीकृत ऋण	कुल स्वीकृत धनराशि
1	देहरादून ब्रॉच सीवरेज विभिन्न क्षेत्र पार्ट–7 सी	93.10	46.55	46.55	93.10
2	देहरादून ब्रॉच सीवर राजपुर रोड एंव समीपवर्ती क्षेत्र	96.00	48.00	48.00	96.00
3	देहरादून ब्रॉच सीवरेज नारायण बिहार	94.50	47.25	47.25	94.50
4	देहरादून ब्रॉच सीवर योजना सरस्वती बिहार पार्ट–3	95.60	08.20	08.20	16.40
	योग		150.00	150.00	300.00

क्रमशः2

2– स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार दो समान किस्तों में पूर्व आहरित धनराशि के 80 प्रतिशत अथवा पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी। निर्माणाधीन योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा। नई योजनाओं के रखरखाव हेतु धनराशि का आहरण उक्त योजनाओं के पूर्ण होने के बाद जिसके अधिकार में उक्त योजना हो उसको आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

2– ऋण–अंश के रूप में स्वीकृत धनराशि की वापसी एवं ब्याज अदायगी निम्न शर्तों एंव प्रतिबन्धों के अधीन होगी:–

(1) ऋण मद की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पूर्व में स्वीकृत ऋणों की अदायगी यदि अभी तक नहीं की गई हों तो ऐसी समस्त धनराशि का समायोजन किये जाने के बाद ही शेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(2) यह ऋण 15(पन्द्रह) समान किश्तों में व ब्याज सहित प्रतिदेय होगा। इस ऋण का प्रतिदान ऋण आहरण की तिथि से एक वर्ष बाद प्रारम्भ होगा। उक्त ऋण पर अन्तिम रूप से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु निगम द्वारा समय–समय पर ऋण का प्रतिदान/ब्याज का भुगतान करने की दशा में 3–1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि कालातीत न हों अर्थात अन्तिम प्रभावी ब्याज की दर 11–1/2 (साढे ग्यारह) प्रतिशत होगी। ऋण/ब्याज का भुगतान प्रतिदान करने के बाद एक बार भी वितिथ होनें पर ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(3) ऋणी/संस्था/समिति/कारपोरेशन/स्थानीय निकाय आदि प्रत्येक दशा में ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकीय) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उत्तरांचल को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजें।

(4) ऋणी/संस्था/संस्थान जब भी ब्याज जमा करें महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारूप पर अवश्य भेजें –

(1) कोषागार का नाम
(2) चलान संख्या व दिनांक
(3) जमा धनराशि।

क्रमश..3

(4) लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या एवं एस0एल0आर0 का संदर्भ किश्त ब्याज
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ।

(5) ऋणी संस्था आहरण के प्रत्येक वर्षगाठ पर अपने लेखों का निदान महालेखाकार के लेखों से अवश्य करे। भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि ऋणी संस्था में इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया हैं तथा प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति यथा समय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दें।

3- स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उत्तर प्रदेश शासन वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-प-2-87(1)/दस-97-17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष कुल सेन्टेज चार्जेज 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि योजना में इससे अधिक सेन्टेज व्यय होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, का होगा ।

4- अनुदान की धनराशि का व्यय ऋण राशि के साथ ही किया जायेगा

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि केवल आवश्यकतानुसार ही किस्तों में आहरित की जायेगी।

6- उपरोक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के दिनांक 30.06.07 तक पूर्ण उपयोग कर तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

7- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी0जी0,एस0 एण्ड डी0, टैन्डर और अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

8- व्यय उन्ही मदो/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

9-कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें । यदि एक मद/योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजनाओं पर किया जाना पाया जाता है तो इस हेतु विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

10-स्वीकृत की जा रही धनराशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उपयोग के उपरान्त

क्रमश 4

अविलम्ब इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा शेष कार्यों हेतु धन प्राप्त कर इस प्रकार पूरा किया जायेगा कि लागत मे वृद्वि न होने पाये

11– यदि यह धनराशि आहरित करके अपने बैंक खाते मे रखी जायेगी तो इस धनराशि पर समय समय पर अर्जित ब्याज को वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार राजकोष मे जमा कर दिया जायेगा ।

12–जी0पी0डब्लू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई का कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13–मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047 XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाय

12–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि लेखाशीर्षक" 2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01– जलपूर्ति– आयोजनागत–101–शहरीजलापूर्ति कार्यक्रम–05 – नगरीय पेयजल–01 – नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" के नामे तथा ऋण की धनराशि लेखाशीर्षक– "6215 –जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज–02 मल–जल तथा सफाई– आयोजनागत – 800– अन्य कर्ज– 04– पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए ऋण–00–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 31/XXVII (2)/07 दिनांक 04 मई, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

सं0642/उन्तीस(2)–2(155पे0)/2006,तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
2.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3.मण्डलायुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल
4.जिलाधिकारी, देहरादून।
5.मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान।
6.सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम।

7.वित्त अनुभाग–2 / वित्त(बजट सेल) / राज्य योजना आयोग, उत्तरांचल।
8.निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
9–स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10.निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11.निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव